

अध्याय - V मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.1 पट्टे पर दिये गये परिपथों/एसटीएम प्रणालियों के किराया प्रभारों की गैर/कम बिलिंग

पट्टे पर दिये गये परिपथ की बिलिंग में इंगित की गयी कमियों को ठीक करने के लिये बीएसएनएल द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद बिलिंग विवरण के गैर-समावेश/अनद्यतन होने के कारण बिल जारी करने में विलम्ब निरन्तर जारी रहा जिससे ₹ 7.61 करोड़ की मांग जारी नहीं हुई जिसमें ₹ 3.18 करोड़ अक्टूबर 2013 तक वसूली के लिए लम्बित था।

मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) उपभोक्ताओं को विशिष्ट अवधि के लिए आन्तरिक संचार हेतु समर्पित संचार लिंक के रूप में पट्टे पर लाइन/परिपथ सेवायें प्रदान करता है। डिजिटल लीज्ड सर्किट (तीव्र गति डिजिटल) एक डिजिटल लीज्ड लाईन सेवा है जो अत्यंत विश्वसनीय समकालिक स्थानान्तरण प्रणाली¹ (एसटीएम) का प्रयोग करते हुए, उपक्रम बैकबोन लाइनों के लिए, एक इष्टतम संचार वातावरण प्रदान करता है। परिपथों की बिलिंग के लिए जारी बिलिंग सम्बन्धी निर्देशों (नवम्बर 2012) के अनुसार संस्थापन की तिथि से पहले वर्ष के 12 महीनों के लिए, द्वितीय वर्ष में संस्थापन की तिथि की प्रथम वर्ष गांठ की समाप्ति से परम्परागत बिलिंग माह (मार्च) तक की अवधि एवं तृतीय वर्ष से आगे परम्परागत बिलिंग चक्र (अप्रैल-मार्च) के अनुसार 1 वर्ष तक का, किराया अग्रिम में वसूल करना था। अग्रिम किराया उपभोक्ता के विकल्प के आधार पर त्रैमासिक/मासिक संग्रहित किया जा सकता था।

2008 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-9 में पट्टे पर दिये गये परिपथ सम्बन्धी बिलों के जारी करने में देरी के फलस्वरूप निधि के अवरुद्ध होने, साथ ही पट्टे पर दी गयी लाइनों के बिलिंग के उद्देश्य से बने 'त्वरित' सॉफ्टवेयर प्रणाली की अप्रभावी कार्यशैली पर पैरा के साथ टिप्पणी की गयी थी। मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (एटीएन) में कहा था :-

- मार्च 2009 में, कि बिल समय से जारी किये जा रहे थे, प्रणाली के माध्यम से चालु करने तथा अन्य बिलिंग विवरण की निगरानी की जा रही थी;
- फरवरी 2010 में, कि पश्चिमी दूरसंचार परिक्षेत्र (डब्ल्यूटीआर) ने बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय (सीओ) से त्वरित प्रणाली के शीघ्र प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध किया था, सक्षम अधिकारी ने प्रणाली को एक नई क्रेस्टेल आदेश प्रबंधन प्रणाली नामक प्रणाली के साथ प्रतिस्थापन को मंजूरी दी थी और यह नई प्रणाली कार्यान्वयन के अंतिम चरण में थी; तथा

¹ एस टी एम (समकालिक स्थानान्तरण प्रणाली) डिजिटल पट्टा परिपथ वहन करने की प्रणाली है।

- दिसम्बर 2013 में, कि वाणिज्यिक एवं बिलिंग अनुभाग के लिए एकीकृत पैकेज के अभाव के परिणामस्वरूप पट्टे पर दी गयी लाइनों के बिल जारी नहीं हुये/बिल जारी होने में विलम्ब हुआ और पुनः यह कहा गया था कि “त्वरित प्लस प्रणाली²” कार्यान्वयन के अधीन थी।

2011-12 के प्रतिवेदन सं0-3 में लेखापरीक्षा द्वारा सदृश्य प्रेक्षण किये गये क्योंकि कमी बनी हुई थी।

डीओटी द्वारा कृत कार्यावाही टिप्पणी में आश्वासन के बावजूद, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो जिलों³ व एक परिमण्डल⁴ में समीक्षित (मार्च 2012 से अप्रैल 2013) 352 मामलों में से, (349 पट्टे पर दिये गये परिपथ व 3 एसटीएम) 294 मामलों में (292 पट्टे पर दिये गये परिपथ और 2 एसटीएम) बिलिंग विवरण समाहित नहीं किये गये तथा 58 मामलों में (57 पट्टे पर दिये गये परिपथ व 1 एसटीएम) अद्यतन नहीं किये गये, परिणामस्वरूप 2007-2008 और 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान इन 352 मामलों के संबंध में ₹ 7.61 करोड़ की मांग जारी नहीं की गई।

बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय ने कहा (अगस्त 2014) कि “त्वरित प्लस प्रणाली” (पूर्ववर्ती त्वरित बिलिंग पैकेज का आधुनिक संस्करण) उपक्रम उपभोक्ता से पट्टे पर दिये गये परिपथ के राजस्व का सही प्रावधान करने, बिलिंग एवं संग्रहण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2009-2010 में प्रारम्भ की गयी थी। तीन प्रभागों में से, मांग पत्रों आदि को उत्पन्न करने वाले पहले प्रभाग को ही 13 सितम्बर 2010 को शुरु किया गया था और अन्य दो प्रभाग जो एकीकृत सही वाणिज्यिक बिलिंग व दोष सुधारों के लिए थे, अब तक (अक्टूबर 2014) शुरु नहीं किये जा सके। बिलिंग स्थिति की निगरानी के सम्बन्ध में, यह उत्तर दिया गया कि बिलिंग व बकाया वसूली की प्रक्रियायें एसएसए/परिमण्डल स्तर पर की जा रही थी और बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय राजस्व उत्पादन एवं बकाया देनदारी निपटान के लिए निगरानी करता है एवं निर्देश देता है।

लेखापरीक्षा द्वारा (मार्च 2012 से अप्रैल 2013) इंगित किये जाने पर, सम्बन्धित जिलों/परिमण्डलों ने ₹ 7.61 करोड़ के पूरक बिल निर्गत किये जिसमें से ₹ 4.27 करोड़ वसूले गये, ₹0.16 करोड़ निरस्त⁵ किया गया तथा अक्टूबर 2013 तक ₹ 3.18 करोड़ वसूली हेतु लम्बित था।

इस प्रकार, आश्वासन देने के बावजूद, डीओटी ने परिमण्डलों में राजस्व का सही प्रावधान करने, बिलिंग व संग्रहण हेतु अपने उपक्रम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक सेवा प्रदान करने के लिए प्रभावी नियंत्रण प्रणाली विकसित नहीं की, जो परिमण्डलों में बिलिंग में लगातार विलम्ब और ₹ 3.18 करोड़ की गैर वसूली में प्रतिफलित हुआ।

² आई टी साफ्टवेयर-कार्यादेश प्रबंधन, बिलिंग प्रणाली और पट्टा लाइनों के दोष सुधार प्रणाली हेतु।

³ चेन्नई दूरसंचार जिला व हैदराबाद दूरसंचार जिला

⁴ महाराष्ट्र परिमण्डल

⁵ छूट में बढ़ोत्तरी एवं परिपथों के नियमितीकरण व उच्चीकरण के कारण बिल निरस्त किये गये थे।

5.2 ओ ए एन परियोजनाओं को चालू करने में असाधारण विलम्ब

वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान ओवर-ले एक्सेस नेटवर्क के अन्तर्गत ₹ 53.27 करोड़ से चार दूरसंचार परियोजना मण्डलों तथा उत्तर पूर्व कार्य बल द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने हेतु कार्यान्वित परियोजनाओं को अभी भी प्रयोक्ता परिमण्डलों/एसएसए को सौंपना/पूर्ण किया जाना शेष था। इसके अतिरिक्त, चूँकि ये परियोजनायें कम्पनी में नकदी की कमी के कारण रोककर रखी गई थीं, इन परियोजनाओं पर हुआ व्यय निष्फल बना रहा।

मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के निदेशक मण्डल ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण ग्राहकों को सीधी ऑप्टिक फाइबर केबल⁶ (ओएफसी) कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया (जनवरी 2001)। इस सम्बन्ध में, बीएसएनएल ने ओएफसी ओवर-ले एक्सेस नेटवर्क⁷ (ओएएन) हेतु योजना के दिशानिर्देश जारी किये (दिसम्बर 2003) और अपने प्रादेशिक/परियोजना परिमण्डलों को भी इसकी योजना बनाने का निर्देश दिया (फरवरी 2004)। इसके अतिरिक्त, सभी जिला मुख्यालयों और परिमण्डलों के सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धकों (सीजीएम) द्वारा योग्य माने गये किसी अन्य कस्बे में, ओएएन प्रदान करने का निर्णय (मार्च 2005) लिया गया। आठ शहरों को आवृत्त करने के साथ शुरुआत करते हुए बीएसएनएल ने, अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा माँगने पर कनेक्टिविटी प्रदान करने की चुनौती का सामना करने हेतु, ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश भर में 898 शहरों में परियोजना का विस्तार करने का निर्णय लिया (जनवरी 2007)।

ओएएन परियोजनायें, दूरसंचार परियोजना परिमण्डलों⁸ द्वारा कार्यान्वित की जानी थीं तथा अन्तिम प्रयोगकर्ता अर्थात् परिमण्डल/माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्रों⁹ (एसएसए) को चालू करने के पश्चात् सौंपी जानी थीं। परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु कदमों में से एक केन्द्रीय/राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरणों से तार/पाइप आदि बिछाने की अनुमति प्राप्त करना था। बीएसएनएल ने नकदी की कमी के मद्देनज़र ओवर-ले नेटवर्क पर व्यय को स्थगित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2010)।

वर्ष 2005-11 के दौरान चार दूरसंचार परियोजना परिमण्डलों¹⁰ व उत्तर पूर्वी कार्य बल (एनईटीएफ) द्वारा कार्यान्वित 547 ओएएन परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012) ने यह उजागर किया कि 53 परियोजनाओं में से, 31 परियोजनायें, परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि से 22 से 96 माह गुजर जाने के बाद अभी भी चालू की जानी शेष थी (अनुलग्नक-XVII) और शेष 22 परियोजनायें सितम्बर 2009 से मार्च 2013 के दौरान चालू की गयी थीं, किन्तु विभिन्न कारणों जैसे-विभिन्न प्राधिकारियों से अनुमति की वांछनीयता, ओएफसी केबल को

⁶ ओएफसी लगभग सभी दूरसंचार नेटवर्कों में प्रयोग की जाने वाली भूमिगत केबल है, जिसमें प्रति संवाद एवं स्थिर अन्तरापृष्ठों के लिए धात्विक केबल की अपेक्षा अधिक क्षमता तथा प्रतिरक्षा है।

⁷ ओवर-ले नेटवर्क नोड्स एवं तार्किक सन्धियों का एक आभासी नेटवर्क है, जिसे ऐसी नेटवर्क सेवा को कार्यान्वित करने के आशय से मौजूदा नेटवर्क के शीर्ष पर निर्मित किया जाता है जो कि मौजूदा नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है।

⁸ दूरसंचार परियोजना परिमण्डल एक गैर प्रादेशिक इकाई के तौर पर कार्य करता है, जो कि विशिष्ट क्रियाकलापों अर्थात् लम्बी दूरी के माध्यम, अधिकतर ओएफसी, के लिए उत्तरदायी है।

⁹ प्रादेशिक परिमण्डल माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्रों में विभाजित है, जो कि बीएसएनएल की प्राथमिक प्रबन्धन इकाईयें हैं।

¹⁰ चार परियोजना परिमण्डल हैं नामतः पश्चिमी दूरसंचार परियोजना, दक्षिणी दूरसंचार परियोजना, पूर्वी दूरसंचार परियोजना तथा उत्तरी दूरसंचार परियोजना जो उत्तर पूर्व के अलावा सभी राज्यों को आवृत्त करते हैं। गुवाहाटी में मुख्यालय के साथ उत्तर पूर्व कार्य बल (एनईटीएफ) इकाई पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी सात राज्यों को आवृत्त करता है जोकि उपरोक्त चार परियोजना परिमण्डलों में आवृत्त नहीं हैं।

नुकसान, छोर से छोर तैयार नहीं था और सम्बन्धित अन्तिम प्रयोगकर्ता ने स्वीकार नहीं किया आदि के कारण मार्च 2013 तक अन्तिम प्रयोगकर्ताओं को सौंपी नहीं गयीं (अनुलग्नक-XVIII)। मार्च 2013 के अनुसार, 53 परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि ₹ 53.27 करोड़ थी।

परियोजना परिमण्डलों ने अपने उत्तरों में (जून 2011 से अक्टूबर 2013) चालू होने में विलम्ब के निम्नलिखित कारण उल्लेखित किये:-

1. केबल बिछाने के लिए राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों से मार्ग छोड़ने की अनुमति का अधिकार प्राप्त करने में विलम्ब/अथवा प्राप्त नहीं होना; (सभी चार परियोजना परिमण्डलों और एनईटीएफ परिमण्डल)।
2. विकास कार्य/सड़क मरम्मत कार्य द्वारा केबल को नुकसान; (सभी चार परियोजना परिमण्डलों व एनईटीएफ परिमण्डल)
3. केबलों की अनुपलब्धता; (एसटीपी)
4. क्षेत्र विशेष की समस्यायें जैसे कानून और व्यवस्था, लम्बे वर्षा ऋतु काल आदि, (एनईटीएफ परिमण्डल)
5. बीएसएनएल के अप्रैल 2012 के निर्देश के कारण कार्य में रुकावट ; (ईटीपी)

डीओटी ने बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय के उत्तर का समर्थन किया (अक्टूबर 2013) जिसने सम्बन्धित मण्डलों के उत्तरों को दोहराया कि "मार्ग के अधिकार" (आरओडब्लू) अनुमति में विलम्ब तथा विकास कार्यों के दौरान केबल नुकसान परियोजनाओं के विलम्ब से चालू होने के मुख्य कारण थे।

जबकि बीएसएनएल ने 494 परियोजनाओं को पूर्ण किया, इन 53 परियोजनाओं के चालू नहीं होने के कारण, ₹ 53.27 करोड़ की निधि अवरुद्ध होने के अतिरिक्त बीएसएनएल का ग्राहकों को गीगाबिट बैंडविड्थ प्रदान करने का उद्देश्य और एक्सेस नेटवर्क को भी मंच की भौति प्रयोग करते हुए भावी सेवाएं प्रदान करने जैसे-मैट्रो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, समकालिक डिजीटल अनुक्रम पर इथरनेट (एसडीएच), बहुप्रोटोकाल लेबल स्विचिंग पर इथरनेट तथा स्टोरेज क्षेत्र नेटवर्क का लक्ष्य अधूरा रहा।

इस प्रकार, दूरसंचार परियोजना परिमण्डलों की ओएन परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने तथा उन्हें एसएसए को सौंपने की असफलता के कारण मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार ₹ 53.27 करोड़ का अनुत्पादक निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना के चालू नहीं होने/सौंपने ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण ग्राहकों के परिसर में माँग पर गुणवत्तापरक व त्वरित कनिक्टिविटी प्रदान करने की निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के वास्तविक उद्देश्य को विफल कर दिया

5.3 पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल में वीपीटी साइन बोर्डों की स्थापना पर ₹ 4.61 करोड़ का निष्फल व्यय

कार्पोरेट कार्यालय द्वारा साइन बोर्ड के लिए विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने में देरी तथा तीन एसएसए का बीएसएनएल की निविदा प्रक्रिया एवं वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुसरण न करके साइन बोर्डों को क्रय करने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹4.61 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (वीपीटी) को प्रदान करने के लिये मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के साथ एक अनुबंध किया (मार्च 2003)। अनुबंध की धारा 14.2 के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा प्रदाता (यूएसपी) को दरें, शिकायत/व्यथाओं के लिये सम्पर्क व्यक्तियों, शुल्क रहित जन उपयोगी दूरभाष नम्बर आदि सूचनाएं स्थानीय भाषा एवं हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में प्रदर्शित करनी थी। अनुबंध साइन बोर्ड के आकार के बारे में मौन था। बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय ने यूएसओएफ के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के चार वर्ष से अधिक बाद, नवम्बर 2007 में बोर्ड का आकार निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2010) ने प्रकट किया कि पश्चिम बंगाल के 14 सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) में से नौ¹¹ एसएसए ने साइन बोर्डों को लगाया और ठेकेदारों को साइन बोर्डों की आपूर्ति एवं लगाने हेतु किये गये भुगतान की दरें प्रति साइन बोर्ड ₹ 64 से ₹ 23900 के बीच थीं जैसा कि नीचे वर्णित है :

एसएसए का नाम	साइन बोर्डों की संख्या	साइन बोर्डों की स्थापना अवधि	प्रति साइन बोर्ड दर (₹ में)
बंकुरा	750	जून 2002—दिसम्बर 2002	64.00
कोलकाता	5000	2002—2003	80.00
आसनसोल	5	उपलब्ध नहीं	100.00
पुरुलिया	166	2006—07	150.00
खड़गपुर	6274	2004—2005	195.00
बेरहामपुर	1000	मार्च 2007—अगस्त 2007	822.00
रायगंज	2450	मई 2005—जुलाई 2007	7400.00
कृष्णानगर	816	अगस्त 2007—नवम्बर 2007	22500.00
माल्दा	400	दिसम्बर 2005—फरवरी 2007	23900.00

लेखापरीक्षा ने रायगंज, कृष्णानगर और माल्दा एसएसए में साइन बोर्डों के लगाने से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा से पाया कि इन एसएसए ने 3666 साइन बोर्डों को सीमेन्ट कंक्रीट के साथ

¹¹ शेष पाँच एसएसए (जलपाईगुड़ी, कूचबेहार, सिलिगुड़ी, गंगटोक और सुरी) ने कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया।

भारी स्टील ढाँचे का उपयोग का अत्यधिक खर्च करते हुये स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, तीन एसएसए ने बिना कोई निविदा आमंत्रित किये मेसर्स आईटीआई, मेसर्स टीसीआईएल और मेसर्स एचसीएल के माध्यम से साइन बोर्डों की स्थापना की।

निविदा का गैर-आमंत्रण बीएसएनएल की खरीद दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था क्योंकि विकेन्द्रीकृत वस्तुओं की खरीद के दिशानिर्देश (जून 2011) अनुबन्ध करते हैं कि बीएसएनएल की समग्र खरीद नीति के सामंजस्य में पारदर्शी निविदा प्रक्रिया को अपनाते हुए खरीद की जायेगी। एक सामान्य साइन बोर्ड के कार्य को प्रदान करना वित्तीय औचित्य के मानकों के अनुसार भी नहीं था जिसके अनुसार सार्वजनिक धन को व्यय करने वाला अथवा व्यय को अधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों के द्वारा मार्गदर्शित होना सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक नियमों एवं विनिर्देशों का पालन किया गया है और वैसी ही सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक साधारण विवेक का व्यक्ति अपने धन के व्यय में प्रयोग करेगा। बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय ने भी यूएसओएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त बाद साइन बोर्ड के लिये विशिष्टताओं को अन्तिम रूप नहीं दिया।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बेरहामपुर, रायगंज, कृष्णानगर और माल्दा एसएसए ने 2005 से 2007 के दौरान साइन बोर्डों की स्थापना हेतु कार्य आदेश जारी किये परन्तु दरों में विशाल अन्तर था।

बेरहामपुर एसएसए की दरों के आधार पर (जो कि चार एसएसए में सबसे कम थी), बीएसएनएल ने अन्य तीन एसएसए में ऊँची दरों पर साइन बोर्डों की स्थापना में परिहार्य अतिरिक्त व्यय ₹ 4.61 करोड़ किया जैसा कि नीचे वर्णित है :

(₹ लाख में)

एसएसए का नाम	साइन बोर्डों की संख्या	बोर्ड की लागत	सेवा कर एवं मूल्य वर्धित कर (वैट)	सम्पूर्ण लागत	बेरहामपुर एसएसए की दर के आधार पर लागत (₹822प्रति साइन बोर्ड)	अतिरिक्त व्यय
रायगंज	2,450	181.30	14.65	195.95	20.14	175.81
कृष्णानगर	816	183.60	10.41	194.01	6.71	187.30
मालदा	400	95.60	5.99	101.59	3.29	98.30
योग	3,666	460.50	31.05	491.55	30.14	461.41

इस तथ्य के प्रकाश में कि पश्चिम बंगाल परिमण्डल में पाँच एसएसए ने स्वयं ही साइन बोर्डों को अत्यन्त कम दरों पर स्थापित किया था, एक सामान्य साइन बोर्ड पर इतना अधिक व्यय करने का कोई औचित्य नहीं था।

डीओटी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि कार्पोरेट कार्यालय द्वारा संरचनात्मक विशिष्टताएं नवम्बर 2007 में दी गयी थीं और उस समय तक अधिकांश कार्य पूर्ण था और एकरूपता को बनाये रखा नहीं जा सका। यह भी कहा गया कि कारपोरेट कार्यालय द्वारा एसएसए को वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया था और उन्हें इन शक्तियों का प्रयोग विषय पर नियमों और निर्देशों के अनुसार करना था। डीओटी ने आगे बताया कि खरीद से सम्बन्धित नियमों व दिशानिर्देशों का पालन न होने के प्रकरण की जाँच की जायेगी। लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण के अनुसरण में, कोलकाता परिमण्डल ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि परिमण्डल की सतर्कता विंग द्वारा जाँच शुरू कर दी गई थी और आगे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोलकाता ने भी इस बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिसम्बर 2013 में मामला दर्ज कर लिया था।

तथ्य यह है कि साइन बोर्ड के लिये विशिष्टताओं के अंतिम निपटान में कार्पोरेट कार्यालय द्वारा की गयी देरी और साइन बोर्डों की खरीद में बीएसएनएल की निविदा प्रक्रियाओं और वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुसरण न करने के तीन एसएसए के कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

5.4 क्रय किए गए डीजी सेटों के संस्थापित न होने के परिणाम स्वरूप ₹ 4.72 करोड़ की राशि का अवरूद्ध होना

बीएसएनएल द्वारा जीएसएम मोबाईल विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रय किये गए डीजल जनरेटर सेटों के गैर-संस्थापन के परिणामस्वरूप उनके क्रय पर ₹ 4.72 करोड़ का अवरूद्ध रहना

मेसर्स बीएसएनएल द्वारा अपने क्षेत्रीय दूरसंचार परिमण्डलों में अपनी जीएसएम सेवाओं के लिए चरणबद्ध विस्तार परियोजनाएं, जिसमें अनुकूलतम विस्तार प्रदान करने हेतु वर्तमान तकनीकी का उन्नतिकरण, मुख्य स्विचिंग केन्द्र (एमएससी) की क्षमता वर्द्धन तथा अतिरिक्त बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संस्थापना सम्मिलित थी, 2005-06 से 2012-13 की अवधि के दौरान आरम्भ की गई थीं। विद्युत आपूर्ति बाधा के दौरान बीटीएस स्थलों की निर्बाध कार्यशीलता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षमताओं के इंजन अल्टरनेटर (डीजल जनरेटर सेट) भी इन्हीं विस्तार परियोजनाओं के एक भाग के रूप में क्रय किये गए थे।

तीन¹² दूरसंचार परिमण्डलों में लेखापरीक्षा (नवम्बर 2013 – मार्च 2014) के दौरान यह देखा गया कि इन दूरसंचार परिमण्डलों के तत् सम्बन्धित विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत टर्न की आधार पर संस्थापना हेतु विक्रेताओं से क्रय किये गए विभिन्न क्षमताओं के ₹ 6.13 करोड़ मूल्य के 441 डीजी सेटों में से ₹ 4.72 करोड़ मूल्य के 304 डीजी सेट उनकी प्राप्ति से 31 मार्च 2014 के अनुसार 2 वर्षों से 5 वर्षों की अवधि तक अनुपयोगी रहे (अनुलग्नक XIX)। डीओटी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि :

¹² गुजरात, आन्ध्रप्रदेश एवम् राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल

- आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल में अनुपयोगी पड़े कहे गये 16 डीजी सेट चरण VII रोल आऊट परियोजना में उपयोग किया/किये जा रहे थे।
- गुजरात दूरसंचार परिमण्डल हेतु डीजीसेटों की संस्थापना तथा आरम्भ करने का सम्पूर्ण कार्य टर्न-की आधार पर 30 प्रतिशत आरक्षित कोटे के अन्तर्गत मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को सौंपा गया था, किन्तु आईटीआई लिमिटेड के कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने की अयोग्यता के कारण कार्य की शेष मात्रा आईटीआई लिमिटेड के जोखिम तथा लागत पर बीएसएनएल की इलैक्ट्रिकल विंग को सौंपी गई थी तथा आज की तिथि तक 162 डीजी सेट भण्डार गृह में पड़े थे एवं 33 डीजी सेट संस्थापना के अन्तर्गत स्थलों पर थे।
- राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल में जीएसएम विस्तार चरण IV एवं चरण V.I के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तक क्रय किये गए सभी डीजी सेट उपयोग किये जा चुके थे तथा मात्र 7 डीजी सेट उनके पास पड़े थे जो कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशों के अनुपालन में विद्यालयों की विद्यमान बीटीएस स्थलों से वापिस लिए गए थे।

अतः डीओटी के उत्तर से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2014 तक गुजरात दूरसंचार परिमण्डल में 195 डीजी सेट अभी भी चालू नहीं किये गये हैं तथा आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल में चरण VII रोल आऊट परियोजना के दौरान 16 डीजी सेट उपयोग किए गए थे/उपयोग किए जा रहे थे। पुनः, यद्यपि डीओटी ने कहा कि जीएसएम विस्तार चरण IV तथा चरण V.I के अन्तर्गत क्रय किये गए सभी डीजी सेट 31 मार्च 2014 उपयोग किये जा चुके हैं तथापि तथ्य यह है कि वे अपने क्रय के चार वर्ष से अधिक के उपरान्त ही उपयोग किए गए थे। अतः, तथ्य यही रहता है कि मार्च 2014 तक 304 डीजी सेट दो से पांच वर्षों तक अनुपयोगी रहे। सभी तीन परिमण्डलों में स्थल-वार डीजी सेटों के उपयोग के विवरण के अभाव के कारण डीओटी के उत्तर, कि शेष डीजी सेट संस्थापित हो गये थे, की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः, चरणबद्ध विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत क्रय किये गए डीजी सेटों की समयबद्ध संस्थापना तथा उपयोगिता सुनिश्चित करने में बीएसएनएल की विफलता के कारण उनकी क्रय पर ₹ 4.72 करोड़ अवरुद्ध रहे।

5.5 चूककर्ताओं से शास्ति की गैर-वसूली

फ्रेंचाइजियों/प्रत्यक्ष विक्रय प्रतिनिधियों/ग्राहक सेवा केन्द्र कर्मियों द्वारा अमान्य ग्राहक आवेदन फार्म के कारण बीएसएनएल द्वारा डीओटी को भुगतान की गई शास्ति की गैर-वसूली ने ₹32.62 करोड़ अवरुद्ध किये

सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं/मूल्य सवर्धित सेवाओं हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) की लाइसेंस शर्तें (नवंबर 2006) अन्य बातों के साथ-साथ यह कहती हैं कि "लाइसेंसधारी प्रत्येक ग्राहक को उपभोक्ता के रूप में स्वीकार करने से पूर्व उसका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करेगा और इस संदर्भ में

लाइसेंसदाता द्वारा समय समय पर जारी निर्देश निष्ठापूर्वक पालन किये जायेंगे"। डीओटी ने उपभोक्ताओं के सत्यापन और चूक पर शास्ति की गणना हेतु निर्देश/दिशानिर्देश दिसम्बर 2008 में जारी किये थे।

बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय ने डीओटी के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टर्म) प्रकोष्ठों द्वारा 1 अप्रैल 2009 के बाद सभी सत्यापित तथा अस्वीकृत (गैर-अनुपालित) मामलों हेतु लाइसेंस करार के नियम व शर्तों के उल्लंघन होने पर शास्ति का भुगतान करने के लिए परिमण्डल प्रमुखों को वित्तीय शक्तियाँ सौंपीं (अप्रैल 2009)। यह भी निर्देशित किया गया था कि दूरसंचार परिमण्डल प्रमुखों द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन हेतु जवाबदेही अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए और चूककर्ता से शास्ति की राशि की वसूली करें, चाहे वह फ्रेंचाईजी हों, अथवा प्रत्यक्ष विक्रय प्रतिनिधि हों और यदि चूककर्ता बीएसएनएल का कर्मचारी था तो कर्मचारियों से शास्ति की कुल राशि की वसूली सहित उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी विचार किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (संघ सरकार-संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) के पैरा सं0 2.1.6.2 का सन्दर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता-वार गैर-अनुपालनित ग्राहक आवेदन फार्म (सीएएफ) के विवरणों को इंगित किया गया था।

आठ¹³ दूरसंचार परिमण्डलों में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान, बीएसएनएल द्वारा ग्राहक आवेदन फार्म (सीएएफ) त्रुटियों की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2013 से मार्च 2014) द्वारा समीक्षा करने पर यह पाया गया कि इन दूरसंचार परिमण्डलों में डीओटी के सम्बन्धित टर्म प्रकोष्ठों द्वारा 59,289 सीएएफ गैर-सम्मत के रूप में सत्यापित और गैर-अनुपालनित के रूप में अस्वीकृत किए गए थे, या तो पहचान एवं पते के उचित प्रमाण के गैर-प्रस्तुतिकरण अथवा गैर-अनुपालन (गैर-पीआईए), फोटोग्राफ का दृष्टिगोचर न होना आदि के कारण, जो सम्बन्धित विक्रय केन्द्र पर उपभोक्ता के सत्यापन हेतु अनुज्ञापित करार की शर्तों के उल्लंघन में किये गये। सम्बन्धित टर्म प्रकोष्ठों द्वारा ₹ 33.07 करोड़ की राशि शास्ति के रूप में लगायी गयी जिसमें से इन आठ दूरसंचार मण्डलों द्वारा ₹ 32.85 करोड़ राशि का भुगतान कर दिया गया है (अनुलग्नक-XX)।

तथापि, चार¹⁴ दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा चूककर्ताओं जैसे फ्रेंचाईजी/प्रत्यक्ष विक्रय प्रतिनिधियों (डीएसए)/ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएससी) कर्मचारियों से बीएसएनएल द्वारा भुगतान की गयी शास्ति आंशिक रूप से ₹ 0.23 करोड़ वसूली गई थी। इन आठ दूरसंचार परिमण्डलों के चूककर्ताओं से अभी भी ₹ 32.62 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जानी शेष है (अनुलग्नक-XXI)।

डीओटी ने अपने उत्तर में कहा कि बीएसएनएल ने पहले ही सभी एसएसए को शास्ति की वसूली तथा जिम्मेदारी निश्चित करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दूरसंचार परिमण्डलों ने गैर वसूली हेतु निम्नलिखित को व्यक्त किया है:

¹³ गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, और हरियाणा दूरसंचार मण्डल

¹⁴ गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, और केरल दूरसंचार मण्डल।

- बीएसएनएल फ्रेंचाइजियों से वसूली प्रक्रिया ने बीएसएनएल उत्पादों की खरीद पर बुरा प्रभाव डाला है और कुछ मौजूदा फ्रेंचाइजी सीएएफ कमियों पर शास्ति की वसूली के डर से अपने करारों के नवीनीकरण में अनिच्छुक हैं। पुनः, नये फ्रेंचाइजी ढूँढने में हो रही परेशानियों के कारण सम्पूर्ण राजस्व में गिरावट आयी ;
- फोटो की स्पष्टता, विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त पता प्रमाण पत्र जारी करने, हस्ताक्षर का मिलान न होने आदि के आधार सीएएफ के साथ जमा किये गये पहचान प्रमाणों की टर्म प्रकोष्ठों द्वारा व्याख्या और अस्वीकार्यता, बीएसएनएल विक्रय केन्द्रों जैसे फ्रेंचाइजियों/विक्रेताओं/सीएससी कर्मचारियों द्वारा उक्त की स्वीकार्यता तथा व्याख्या से भिन्न हैं जिस कारण शास्तियों लगाये जाने में वृद्धि करती हैं, क्योंकि टर्म प्रकोष्ठ की व्याख्या अन्तिम रूप से मान्य होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- कार्पोरेट कार्यालय द्वारा समय-समय पर चूककर्ता फ्रेंचाइजियों/विक्रेताओं/ग्राहक सेवा केन्द्र कर्मचारियों से शास्ति की वसूली हेतु जारी निर्देश दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में असफलता के कारण सफल नहीं हुए।

जैसा कि गैर-सम्मत होने के कारण टर्म द्वारा अस्वीकृत अनेकों मामलों में हुई वृद्धि से देखा जा सकता है जबकि गैर-सम्मत सीएएफ के लिए बीएसएनएल द्वारा भुगतान की गई शास्ति की वसूली अति अल्प थी;

- ग्राहक सेवा केन्द्र के कर्मचारी¹⁵ कनेक्शन चालू करने से पूर्व बीएसएनएल चैनल विक्रय साझेदारों, यथा फ्रेंचाइजियों/विक्रेताओं, द्वारा नये ग्राहक आवेदन पत्र के साथ जमा किये गये सभी सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करने हेतु नामित हैं। उत्तर में यह कहा गया था कि चूककर्ता फ्रेंचाइजियों/ विक्रेताओं/ग्राहक सेवा केन्द्र कर्मचारियों पर लापरवाही निश्चित नहीं किया जा सकती, जो कि वास्तव में बीएसएनएल द्वारा स्वयं अपनी असफलतायें छुपाने पर लक्षित थी क्योंकि अपूर्ण सीएएफ स्वीकार करने का अंतिम उत्तरदायित्व, यदि कोई है, तो सीएससी कर्मचारियों पर है, और वसूली का दायित्व भी चूककर्ता सीएससी कर्मचारी पर होना चाहिए।
- जैसा कि उत्तर में व्यक्त किया गया है कि मौजूदा फ्रेंचाइजियों को खोने और नई फ्रेंचाइजियों को खोज पाने की असमर्थता का डर, यदि उनसे अस्वीकृत सीएएफ हेतु वसूली की जाती, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बीएसएनएल की जिम्मेदारी है कि वह अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए गैर-सम्मत सीएएफ के लिए भुगतान की गई शास्ति की वसूली के संबंध में अपने स्वयं के निर्देश के प्रवर्तन को सुनिश्चित करे।

¹⁵ ग्राहक सेवा केन्द्र बीएसएनएल परिक्षेत्र के भीतर, कार्यालयी विक्रय केन्द्र है और उनके कर्मचारियों का कार्य नये कनेक्शन चालू करने से पूर्व फ्रेंचाइजियों/विक्रेताओं/द्वारा जमा किये गये सीएएफ के सभी सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करना है।

इस प्रकार विक्रय बिन्दु पर ग्राहक आवेदन पत्र की स्वीकार्यता हेतु वांछित डीओटी के अनिवार्य नियम व शर्तों के पालन में असफलता के कारण बीएसएनएल को वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान को ₹ 32.85 करोड़ की शास्ति का भुगतान करना पड़ा जिसमें से 31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार ₹ 32.62 करोड़ रुपये की वसूली करना शेष था।

5.6 ग्राहकों द्वारा मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी के तहत बर्हिगमन के कारण उपभोक्ता आधार का क्षरण

प्रतिस्पर्धी प्रशुल्कों पर एक अच्छी गुणवत्तायुक्त जीएसएम मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध कराने में बीएसएनएल की विफलता, मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी के तहत, इसके मौजूदा उपभोक्ता आधार के, अन्य आपरेटरों में, क्षरण में प्रतिफलित हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹100 करोड़ के आश्वासित राजस्व की हानि हुई

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने जनवरी 2011 में देश के सभी वर्तमान उपभोक्ताओं के लिए मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रस्तावित की। एमएनपी का उद्देश्य मौजूदा सेवा प्रदाता की असंतोषजनक सेवा के मामले में ग्राहकों को मौजूदा मोबाईल टेलीफोन नम्बर को बनाए रखते हुए एक नये सेवा प्रदाता में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सरकार द्वारा एमएनपी का प्रस्ताव (जनवरी 2011), सात¹⁶ बीएसएनएल परिमण्डलों में जनवरी 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान 8,04,015 उपभोक्ताओं की शुद्ध हानि में परिणत हुआ जैसा नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1

दूरसंचार परिमंडलों का नाम	पोर्ट इन	पोर्ट आउट	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)
गुजरात	70,627	2,24,489	(-) 1,53,862
पश्चिम बंगाल	21312	79797	(-) 58,485
राजस्थान	96,866	3,59,350	(-) 2,62,484
कर्नाटक	1,86,276	2,38,870	(-) 52,594
हरियाणा	81,252	2,53,389	(-) 1,72,137
मध्यप्रदेश	42,851	1,02,885	(-) 60,034
बिहार#	15,722	60,141	(-) 44,419
योग	514906	1318921	(-) 8,04,015

#माह फ़रवरी 2012 से नवम्बर 2012 का डाटा उपलब्ध नहीं

¹⁶ गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा दूरसंचार परिमंडल

लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत विश्लेषण ने निम्नलिखित प्रकट किया :-

ऊपर सात परिमंडलों में से चार में, 40 प्रतिशत से 76 प्रतिशत मौजूदा उपभोक्ताओं ने "नेटवर्क समस्या", 5 प्रतिशत से 29 प्रतिशत ने "प्रशुल्क संबंधी मुद्दों" बताते हुए और 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत ने अन्य कारण बताते हुए बर्हिगमन किया जैसा कि नीचे तालिका 2 में वर्णित है:

तालिका 2

(प्रतिशत में)

दूरसंचार परिमंडलों का नाम	नेटवर्क/गुणवत्ता सेवा से संबंधित समस्याएँ	टैरिफ सम्बन्धित समस्या	अन्य कारण
गुजरात	40	29	31
राजस्थान	68	22	10
पश्चिम बंगाल	48	20	40
हरियाणा	76	05	19

- i. दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी (टीईआरएम-टर्म) प्रकोष्ठ, डीओटी, द्वारा जीएसएम सेवा प्रदाताओं के लिए निर्धारित नेटवर्क सेवा गुणवत्ता मानकों के अनुसार, संचित डाउन टाईम (सेवा के लिए नेटवर्क उपलब्ध नहीं) माह में उपलब्ध कुल बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) घंटों के 2 प्रतिशत से कम होना चाहिए। इसके अलावा, बीएसएनएल के मानदंडों¹⁷ के अनुसार, बीटीएस अवरोध दर (दोष) के लिए मानदण्ड माह में कार्यरत बीटीएस का 20 प्रतिशत तक था। तथापि, यह देखा गया कि सात परिमंडलों में से चार में यद्यपि बीटीएस विफलता, 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, माह में उपलब्ध कुल घंटों के 2 प्रतिशत के भीतर बनी रही, पंजीकृत दोषों की संख्या 25.4 प्रतिशत से लेकर 198.59 प्रतिशत के बीच रही जैसा कि नीचे तालिका 3 में दर्शाया गया है :-

तालिका 3

दूरसंचार परिमंडलों का नाम	पंजीकृत औसत मासिक बीटीएस दोष दर का प्रतिशत (2010-11 से 2012-13)
गुजरात	45.31
राजस्थान	49.58
कर्नाटक	25.40
पश्चिम बंगाल	198.59

- ii. बीएसएनएल ने, एक जीएसएम मोबाईल सेवा प्रदाता के रूप में, सात दूरसंचार परिमंडलों में से छः में अधिक स्पेक्ट्रम रखा जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

¹⁷ प्रबंधन अध्याय 15 निरीक्षण और सेवा की गुणवत्ता पर ई₁, ई₂

तालिका 4

सेवा क्षेत्र	धारित स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)/31.03.2013 की स्थिति में उपभोक्ता आधार (लाख में)								01.04.10 से 31.03.13 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की शुद्ध वृद्धि (लाख में)			
	बीएसएनएल		भारती		वोडाफोन		आइडिया		बीएसएनएल	भारती	वोडाफोन	आइडिया
	स्पेक्ट्रम	उपभोक्ताओं की संख्या	स्पेक्ट्रम	उपभोक्ताओं की संख्या	स्पेक्ट्रम	उपभोक्ताओं की संख्या	स्पेक्ट्रम	उपभोक्ताओं की संख्या				
गुजरात	7.4	41.80	6.2	71.11	9.8	160.62	6.2	85.10	12.32	16.54	52.37	31.09
पश्चिम बंगाल	8.0	35.34	6.2	92.72	6.2	116.01	4.4	26.60	12.99	37.06	43.09	20.26
राजस्थान	8.0	57.88	6.2	147.39	6.2	89.62	6.2	51.44	16.90	44.37	14.85	28.02
कर्नाटक	10.0	69.51	9.8	162.30	8.0	68.38	4.4	62.46	34.70	35.87	16.71	36.13
हरियाणा	10.0	30.90	7.8	23.34	6.2	46.33	6.2	37.83	06.23	08.00	17.19	16.23
मध्य प्रदेश	10.0	50.31	6.2	101.20	4.4	43.08	8.0	155.59	17.36	34.79	24.63	83.07
बिहार	10.0	66.91	8.0	193.72	4.4	67.69	4.4	60.40	13.47	83.69	35.98	29.93
योग		352.65		791.78		591.73		479.42	113.97	260.32	204.82	244.73

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, कि मार्च 2013 में मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन लिमिटेड और मेसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 7.92 करोड़, 5.92 करोड़ तथा 4.79 करोड़ थी जबकि, बीएसएनएल की मात्र 3.53 करोड़ थी। पुनः, 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन लिमिटेड और मेसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा अर्जित उपभोक्ताओं की संख्या, बीएसएनएल द्वारा 1.14 करोड़ के सापेक्ष, क्रमशः 2.60 करोड़, 2.05 करोड़ एवं 2.45 करोड़ थी। इस प्रकार, बीएसएनएल की तुलना में कम स्पेक्ट्रम धारण करने के बावजूद, निजी आपरेटर अपनी बेहतर गुणवत्ता नेटवर्क प्रदान करने व बनाये रखने की क्षमता के कारण इन दूरसंचार परिमंडलों में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने और हासिल करने में सक्षम थे, जबकि, बीएसएनएल चरण-वार विस्तारों के तहत अखिल भारतीय नेटवर्क स्थापित करने, समय समय पर क्षमता वृद्धि एवं तकनीकी उन्नयन किये जाने के बावजूद, एक गुणवत्ता युक्त नेटवर्क प्रदान एवं बनाये न रख सका। इसके अलावा, बीएसएनएल प्रतिस्पर्धी बाजार संचालित प्रशुल्कों के साथ अपने उत्पादों के प्रभावी विपणन में विफल रहा जैसा कि उपभोक्ताओं द्वारा बीएसएनएल से बहिर्गमन के लिए दिये गये कारणों से प्रत्यक्ष है जिसे तालिका-2 में दर्शाया गया है।

एमएनपी की वजह से मौजूदा उपभोक्ता आधार के क्षरण के कारण इन सात बीएसएनएल परिमंडलों में उपरोक्त समयावधि में ₹100 करोड़¹⁸ की हानि हुई (अनुलग्नक XXII)

¹⁸ राजस्व हानि की गणना बीएसएनएल के सात परिमंडलों में मासिक मिश्रित (प्री पेड और पोस्ट पेड) औसत राजस्व प्रति उपभोक्ता (ए आरपीयू) पर आधारित है।

दूरसंचार परिमंडलों ने कहा (जनवरी-मार्च 2014) कि निजी ऑपरेटरों द्वारा पोर्ट-इन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के आक्रामक विपणन अभियान से मुकाबला करने में बीएसएनएल की असमर्थता, एमएनपी उपभोक्ताओं को लाने के लिए अन्य ऑपरेटरों द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए पेश विशेष प्रोत्साहनों से मिलान, बीएसएनएल मोबाईल सेवा कवरेज से असंतोष, प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क की कमी एवं सेवाओं की खराब गुणवत्ता तथा अन्य ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तावित मुफ्त उपहारों से मिलान में असमर्थता, उपभोक्ता आधार के क्षरण के जिम्मेदार कारक थे।

डीओटी ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा था कि मौजूदा ग्राहकों ने बीएसएनएल के नेटवर्क से बर्हिगमन खराब गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने के कारण नहीं किया क्योंकि बीएसएनएल इस समयावधि में सेवा निष्पादन की समग्र गुणवत्ता को ट्राई¹⁹ के मानदण्डों के अनुसार पूरा कर रहा है और अतएव यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि सेवा की गुणवत्ता के कारण बीएसएनएल उपभोक्ता आधार का बर्हिगमन हुआ है।

डीओटी का उत्तर इस तथ्य का खण्डन करता है कि सात दूरसंचार परिमंडलों में चार नियमित रूप से ट्राई द्वारा बीटीएस डाउनटाईम (नेटवर्क की अनुपलब्धता) और कॉल ड्रॉप दर (सजीव कॉल विच्छेदन) हेतु निर्धारित मानदण्डों को बनाये रखने में विफल रहे जैसा कि तालिका 2 और 3 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, डीओटी का उत्तर इस बारे में चुप है कि बीएसएनएल मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत अपने मौजूदा उपभोक्ता आधार में नियमित क्षरण क्यों भुगत रहा था।

इस प्रकार बीएसएनएल, छह सेवा क्षेत्रों में अधिकतम मात्रा में स्पेक्ट्रम धारण करने के बावजूद, न्यूनतम व्यवधानों (दोष) के साथ एक अच्छी गुणवत्ता युक्त अखिल भारतीय जीएसएम मोबाईल नेटवर्क प्रदान एवं सुनिश्चित करने में अपनी असमर्थता के कारण तेजी से विकसित हो रहे दूरसंचार क्षेत्र में अपने मौजूदा उपभोक्ता आधार को ठोस मात्रा में बढ़ाने में असफल रहा तथा गतिशील बाजार संचालित प्रशुल्कों को पेश नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप इन सात दूरसंचार परिमंडलों में इसके मौजूदा उपभोक्ताओं का क्षरण हुआ, जो कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि में ₹ 100 करोड़ की राजस्व हानि में परिणत हुआ। डीओटी को, प्राथमिकता के आधार पर, अपने पीएसयू अर्थात् बीएसएनएल के ग्राहक आधार के क्रमिक क्षरण के लिए पहचान करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करे कि सभी परिमंडलों में निजी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने तथा ग्राहक आधार के क्षरण की प्रवृत्ति को रोकने में बीएसएनएल को सक्षम बनाने हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

5.7 स्रोत पर कर की कटौती न करने के परिणामस्वरूप ₹ 29.74 करोड़ का आयकर दायित्व

व्यापार छूट के रूप में फ्रेन्चाइजी को भुगतान किये गये कमीशन में स्रोत पर कर की कटौती न करना बीएसएनएल पर ₹ 29.74 करोड़ के आयकर दायित्व में प्रतिफलित हुआ

मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) निर्धारण वर्ष 2008-09 तक अपने फ्रेन्चाइजियों को रिचार्ज कूपन/इंडिया टेलीफोन कार्ड्स की बिक्री पर भुगतान किये गये कमीशन पर स्रोत पर कर

¹⁹ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (टीआरएआई)

की कटौती कर रहा था। बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय ने दिसम्बर 2007 में अपनी बिक्री और वितरण नीति 2006 में संशोधन जारी किया जिसके अनुसार रिचार्ज कूपन्स (आरसीसी), इंडिया टेलीफोन कार्ड्स (आईटीसी), फिक्सड लाइन प्रीपेड (एफएलपीपी), संचार नेट कार्ड्स, बेव फोन कार्ड्स और सीडी रोम की बिक्री हेतु फ्रेन्चाइजी बीएसएनएल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे। पुनः यह कहा गया था कि ये सौदे मूल से मूल के आधार पर थे और तदनुसार फ्रेन्चाइजी के लिए प्रयोज्य छूट निश्चित की गयी थी। बीएसएनएल ने निर्देशित किया (अप्रैल 2008) कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ फ्रेन्चाइजी, बिजनेस एसोसियेट्स, पीसीओ होल्डर्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेण्ट इत्यादि मूल से मूल के आधार पर कार्य कर रहे थे, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) लागू नहीं थी क्योंकि व्यापार के जोखिम और उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर, जब वह छूट के पश्चात एक बार शुद्ध कीमत भुगतान करके कूपन्स/कार्ड्स खरीदता है, स्थानान्तरित हो जाता था। तदनुसार, इकाईयों को सलाह दी गयी थी कि स्रोत पर कर की कटौती न की जाये और इस उद्देश्य के लिए मूल से मूल प्रकृति के सौदों को प्रदर्शित करते हुए फ्रेन्चाइजी से अलग अनुबन्ध किया जाये। आयकर एपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) कोलकाता के निर्णय पर विचार किये बिना संशोधन प्रभावी किया गया जिसमें, प्राइवेट मोबाईल सेवा प्रदाता के प्रकरण में, यह कहा गया था (अप्रैल 2006) कि फ्रेन्चाइजी को दी जाने वाली व्यापार छूट कमीशन के समान थी और टीडीएस कटौती योग्य थी।

फ्रेन्चाइजी को कमीशन के बराबर व्यापार छूट प्रदत्त किए जाने को विचारित करते हुए आयकर अधिकारियों ने प्रथमतः नवम्बर 2009 में चेन्नई टेलीफोन्स को एक माँग, इसके फ्रेन्चाइजी को व्यापार छूट दिये जाने पर स्रोत पर कर की कटौती न करने के कारण, जारी की। तत्पश्चात् उसी बहाने आयकर अधिकारियों द्वारा दूसरे चार²⁰ परिमण्डलों को माँग जारी की गयी थी। मार्च 2011 में बीएसएनएल, फ्रेन्चाइजी को दिये गये कमीशन पर स्रोत पर कर की कटौती हेतु अप्रैल 2011 से प्रभावी अपनी पूर्व प्रक्रिया पर (निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिये प्रभावी) वापस आया। बीएसएनएल चेन्नई द्वारा माँग नोटिसों के विरुद्ध आयकर एपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) के समक्ष दायर एक याचिका को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को उद्दरित करते हुए खारिज कर दिया गया था (अक्टूबर 2012)।

तेरह दूरसंचार परिमण्डलों²¹ की लेखा परीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि 2008-09 से 2011-12 (जून 2011 तक) तक की अवधि के दौरान फ्रेन्चाइजियों को प्रदत्त व्यापार छूट पर स्रोत पर लागू कर की कटौती आयकर अधिनियम के अनुसार नहीं की गयी थी जो आयकर के रूप में ₹29.74 करोड़ के बड़े दायित्व के अतिरिक्त इस पर देय ब्याज एवं शास्ति के रूप में प्रतिफलित हुई। आयकर प्राधिकारियों ने आयकर की वसूली न करने के लिए पाँच²² दूरसंचार परिमण्डलों के विरुद्ध ₹14.77 करोड़ एवं दो²³ के विरुद्ध शास्ति एवं ब्याज के लिए ₹ 2.04 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। चार²⁴ दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा ₹ 14.35 करोड़ का भुगतान किया गया (अनुलग्नक-XXIII)।

²⁰ हैदराबाद, जयपुर, उत्तरप्रदेश तथा जम्मू दूरसंचार परिमण्डल।

²¹ चेन्नई टेलीफोन्स, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओड़िसा, कर्नाटक तथा केरल।

²² चेन्नई टेलीफोन्स, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, तथा उत्तरप्रदेश।

²³ आन्ध्रप्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर दूरसंचार परिमण्डल।

²⁴ चेन्नई टेलीफोन्स, आन्ध्रप्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल

डीओटी ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि, मौजूदा बिक्री एवं वितरण नीति, 2006 में संशोधन इसके फ्रेन्चाइजी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के परिपेक्ष में बीएसएनएल की नीति निर्धारित करने के कारण आवश्यक थे जो सिमकार्ड एवं रिचार्ज कूपन की बिक्री हेतु भुगतान किये गये कमीशन पर सेवाकर के भुगतान से बचने के लिए कमीशन के बदले व्यापार छूट की अनुमति दे रहे थे। बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय में बनायी गयी एक समिति ने नकद आधार पर फ्रेन्चाइजियों को विक्रय किये गये बीएसएनएल के कुछ उत्पादों की बिक्री को मूल से मूल आधार पर मानने तथा ऐसे क्रय पर बाद में उनकी बिक्री में कमीशन के बदले अग्रिम छूट की अनुमति किये जाने हेतु संस्तुति की एवं यह प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित था तथा तदनुसार 2007 में बीएसएनएल बिक्री एवं वितरण नीति संशोधित की गयी थी। हालाँकि, फ्रेन्चाइजियों को दिये गये व्यापार छूट पर स्रोत पर कर की कटौती की विफलता के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा बीएसएनएल की क्षेत्रीय इकाइयों को नोटिस जारी करना प्रारम्भ किया गया क्योंकि उनके द्वारा माना गया कि यह कमीशन के समान था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्रोत पर कर की कटौती के पक्ष में निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, बीएसएनएल, अप्रैल 2011 में फ्रेन्चाइजी को दिये गये कमीशन पर स्रोत पर कर की कटौती की अपनी पूर्ववत् नीति पर वापस आ गया।

वास्तविकता यह है कि 2007 में विद्यमान बिक्री एवं वितरण नीति को संशोधित करते समय यथोचित परिश्रम नहीं किया गया था क्योंकि इसी विषय पर प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के सम्बन्ध में आयकर अपीलेंट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) कोलकाता के 2006 के निर्णय, जो लोक क्षेत्र में उपलब्ध था, पर विचार नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, फ्रेन्चाइजी अनुबन्धों में नियम एवं शर्तें इस विषय पर विद्यमान आयकर अधिनियम/आदेशों के उल्लंघन में थी तथा यह स्रोत पर कर की कटौती न किये जाने के कारण फ्रेन्चाइजियों को अनुमत व्यापार छूट पर आयकर, ब्याज एवं शास्ति के ₹ 29.74 करोड़ के दायित्व में प्रतिफलित हुई। ₹ 29.74 करोड़ में से अब तक ₹ 14.35 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका था।

5.8 आईपीएलसी-एलआईएम सिस्टम के कार्य न करने के कारण निष्फल व्यय

मुम्बई और कोलकाता गेटवे नोड्स के टेली-ट्रेफिक की सुरक्षा निगरानी के लिए बीएसएनएल द्वारा खरीदे गए अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा परिपथ-विधिसंगत अवरोधन और अनुश्रवण (आईपीएलसी-एलआईएम) तंत्र उसकी स्थापना से तीन साल से अधिक वर्षों तक गैर-कार्यशील रहे जिसके कारण ₹ 8.48 करोड़ के निष्फल व्यय के अतिरिक्त अवरोधन और अनुश्रवण की सुरक्षा जरूरत से समझौता हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी दूरसंचार ऑपरेटरों (आईएलडीओ) द्वारा गेटवेज पर अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा परिपथ-विधिसंगत अवरोधन और अनुश्रवण (आईपीएलसी-एलआईएम) तंत्र की स्थापना व्यवसायिक रूप से आईपीएलसी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक अनिवार्य आवश्यकता है। आईपीएलसी-एलआईएम तंत्र का उपयोग आईपीएलसी-एलआईएम के माध्यम से गुजरने वाले यातायात के अवरोधन और अनुश्रवण हेतु किया जाता है। भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419 (ए) के अनुसार संघीय

गृह सचिव या राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों के प्रधिकार पर आईएलडीओ यातायात की सुरक्षा निगरानी के संबंध में लाईसेंसप्रदाता और सुरक्षा एजेन्सियों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे।

बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय (सीओ) ने बीएसएनएल के पाँच²⁵ गेटवे नोड्स पर आईपीएलसी-एलआईएम तंत्र की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने हेतु ₹ 17.04 करोड़ की लागत और 2 जनवरी 2008 की निर्धारित सुपुर्दगी के साथ मेसर्स आईसीओएमएम टेली लिमिटेड को एक खरीद आदेश जारी किया (अगस्त 2007)। इन स्थानों पर उपकरणों की सुपुर्दगी जनवरी 2008 में की गयी थी। हालांकि, जनवरी 2011 तक सिर्फ तीन²⁶ स्थानों में उपकरण काम में लाये गये थे। मार्च 2014 तक, मुंबई और कोलकाता में उपकरणों को अभी भी उपयोग में लाया जाना था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी ऑफ इण्डिया) के 2010-11 के प्रतिवेदन संख्या 10 में प्रकाशित एक पैरा "विधिसंगत अवरोधन और अनुश्रवण एवं अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा परिपथ की स्थापना में देरी" जिसमें तीन²⁷ स्थानों (कोलकाता सहित) में असंस्थापना या उपकरणों के चालू न होने या चालू करने में विलम्ब को इंगित किया गया था और देरी का कारण स्वीकृति परीक्षण पास करने की विफलता थी। यह भी इंगित किया गया था कि उपकरणों की सभी कार्यक्षमताओं के प्रदर्शन में बोलीकर्ता की विफलता के बावजूद, विक्रेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। पैराग्राफ पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (एटीएन) में डीओटी ने कहा (मार्च 2010) कि टीएण्डडी परिमण्डल द्वारा निर्धारित स्वीकृति एवं परीक्षण अनुसूची में वैधीकरण के दौरान किये जाने वाले परीक्षण के अतिरिक्त अन्य परीक्षण भी थे और आईपीएलसी-एलआईएम उपकरणों की खरीद के दौरान बीएसएनएल के पास कोई तकनीकी विशिष्टताएं/जेनेरिक आवश्यकता उपलब्ध नहीं थी। आगे यह कहा गया कि पीओ के नियम और शर्तों के अनुसार विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। तथापि, डीओटी के आश्वासन के बावजूद उपकरणों के गैर-निष्पादन के तात्कालिक मामले में, एलडी चार्ज के आरोपण के अलावा, विक्रेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी (अक्टूबर 2014)।

लेखापरीक्षा ने निम्न अवलोकन किया:

- पीओ के खण्ड 11.1 के अनुसार, उपकरणों की लागत का 60 प्रतिशत भुगतान स्थल पर उपकरणों की आपूर्ति और गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) के निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय था। बीएसएनएल सीओ (अक्टूबर 2007) ने डब्ल्यूटीआर, मुंबई और ईटीआर कोलकाता (मार्च 2008) को क्यूए के निरीक्षण प्रतिवेदन के बिना धनराशि विमुक्त करने का निर्देश इस आधार पर दिया कि वैधीकरण परीक्षण वैधीकरण समिति द्वारा किया जायेगा और तदनुसार, विक्रेता को ₹ 5.10 करोड़ का भुगतान किया गया (फरवरी/मार्च 2008)। चूँकि वैधीकरण परीक्षण केवल जनवरी 2009 में सफलतापूर्वक किया गया और पूर्ण किया गया था इसलिए

²⁵ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इर्नाकुलम और तूतीकोरिन

²⁶ चेन्नई-16 अक्टूबर 2010, तूतीकोरिन-31 जनवरी 2011, इर्नाकुलम-31 जनवरी 2011

²⁷ इर्नाकुलम, कोलकाता और चेन्नई

फरवरी/मार्च 2008 में उपकरणों की लागत के 60 प्रतिशत का भुगतान ₹ 5.10 करोड़ विमुक्त करना पीओ की शर्तों के विरुद्ध था।

- खण्ड 11.1 (बी) के अनुसार, कुल लागत के 30 प्रतिशत का भुगतान सफल स्वीकृति और परीक्षण (एटी) पर किया जाना था। गठित की गई समिति (अगस्त 2007) को संदर्भित शर्तों के अनुसार, सिर्फ प्रमुख मापदण्डों को सम्मिलित करते हुए, चेन्नई, कोलकाता और इर्नाकुलम में एटी की जानी थी। ईटीआर कोलकाता में जनवरी 2009 में किये गये एटी में कुछ कमियाँ जैसे लोडिंग और पासवर्ड की समस्या थी। इसी प्रकार, मुम्बई में, पैकेट डाटा कैचर का प्रदर्शन नहीं किया गया था (अक्टूबर 2014)। कमियों के बावजूद, मार्च 2009 में मुम्बई इकाई द्वारा ₹1.75 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया और फरवरी 2010 में कोलकाता इकाई द्वारा ₹ 0.72 करोड़ का भुगतान, जो कि कुल लागत का 30 प्रतिशत है, किया गया था। चूँकि स्वीकृति परीक्षण सफल नहीं था इसलिए ₹2.47 करोड़ का भुगतान, लागत का 30 प्रतिशत, पीओ की शर्तों के अनुरूप नहीं था।
- खण्ड 11.1 (सी) के अनुसार, शेष 10 प्रतिशत का भुगतान उपकरण के सफलतापूर्वक चालू होने के एक वर्ष बाद ही किया जाना था। हालाँकि, डब्ल्यूटीआर मुम्बई ने उपकरणों के लिए ₹0.58 करोड़ की शेष राशि निविदा अभिलेख²⁸ के खण्ड 11.3 (भाग-III) के आधार पर अतिरिक्त बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने पर विमुक्त की (मार्च 2009) यद्यपि उपकरण चालू नहीं किया गया था। बैंक गारंटी जनवरी 2010 में इसकी समाप्ति के उपरांत बढ़ायी नहीं गयी थी।
- इसके अलावा, मुम्बई इकाई द्वारा स्थापन और चालू करने हेतु आपूर्तिकर्ता को ₹0.33 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान भी किया गया था जबकि उपकरण अभी चालू होना शेष था (अक्टूबर 2014)।

डब्ल्यूटीआर (मार्च 2014) और ईटीआर (अप्रैल 2014) के प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि विक्रेता को भुगतान पीओ की शर्तों के साथ-साथ बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों के आधार पर ही किये गये थे।

प्रबंधन ने उपकरणों के कार्य नहीं करने को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि:

- मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मैसर्स वैरिएन्ट निविदा शर्तों के अनुसार पाँच साल की अवधि के लिए बीएसएनएल नेटवर्क में आईपीएलसी-एलआईएम की संस्थापना/सुचारु रूप से कार्य करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था। किन्तु ओईएम ने कहा कि बीएसएनएल और उनके बीच अनुबंध में कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, वे आईपीसीएल के निविदा दस्तावेजों के किसी भी प्रकार से जानकार नहीं थे और उनकी ओर से बीएसएनएल के पक्ष में उन निविदा दस्तावेजों पर कोई सहमति नहीं थी।

²⁸ शेष 10% भुगतान किया जा सकता है, यदि निष्पादन सन्तोषजनक है और आपूर्ति मूल्य के 10% के बराबर एक अतिरिक्त बैंक गारन्टी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

- ₹1.06 करोड़ की परफार्मेंस बैंक गारंटी को जब्त करने और कम्पनी को काली सूची में डालने का प्रस्ताव दिया गया था।
- उपकरणों के संस्थापना और चालू करने में विलम्ब के लिए बीएसएनएल पहले ही, मेसर्स आईकॉम से ₹0.78 करोड़ एलडी की वसूली कर चुका है और खण्ड का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि भुगतान सफल वैधीकरण और पीओ के स्वीकृति परीक्षण नियम और शर्तों पर जारी किये गये थे।

डीओटी ने अपने जवाब में कहा (अक्टूबर 2014) कि

- आईपीएलसी-एलआईएम उपकरण मुम्बई में मई 2008 में स्थापित किया गया था और डब्ल्यूटीआर, मुम्बई द्वारा नवम्बर 2010 में अधिग्रहित किया गया था।
- डीओटी द्वारा आईपीएलसी-एलआईएम की अनुमति 2008 में दी गयी थी।
- मुम्बई में उपकरण के सफल वैधीकरण के उपरान्त भुगतान जारी किये गये थे; और
- मुम्बई और कोलकाता में आईपीएलसी-एलआईएम उपकरण आज की तिथि तक काम नहीं कर रहे थे, आपूर्तिकर्ता कई अनुरोधों के बावजूद सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहा और इसलिए पीबीजी का जब्तीकरण शुरू किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान पीओ के खण्डों के विरुद्ध जारी किये गये थे जैसा ऊपर दर्शाये गया है। चूँकि बीएसएनएल के पास आईपीएलसी प्रणाली के संबंध में कोई तकनीकी विशिष्टता/जेनेरिक आवश्यकता (जीआर) नहीं थी, इसलिए विक्रेता को भुगतान करते समय भुगतान के नियम और शर्तों में ढील देना, जो कि जाँच अनुसूची जैसे- वैधीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और स्वीकृति परीक्षण पर आधारित थे, बीएसएनएल के स्तर पर उचित नहीं था। भुगतान की शर्तों में शिथिलता ने कंपनी के हितों की रक्षा नहीं की। बीएसएनएल ओईएम के साथ किसी भी संविदा में शामिल नहीं हुआ जो कि एक अच्छी प्रथा नहीं थी विशेषकर ओईएम के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि वे आईपीसीएल के निविदा दस्तावेजों के किसी भी प्रकार से जानकार नहीं थे और बीएसएनएल की और उन निविदा कागजातों पर उनके पक्ष में कोई एकमतता नहीं थी। ओईएम के साथ किसी भी संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल होने के कारण, बीएसएनएल ओईएम को एटी के दौरान पायी गयी कमियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सका जिसके कारण मुम्बई और कोलकाता में उपकरणों का संस्थापन नहीं हो सका।

इस प्रकार, बीएसएनएल के ओईएम के साथ किसी भी संविदा में शामिल होने में विफलता और पीओ में दर्शायी गयी भुगतान शर्तों का कडाई से पालन न करने के कारण आईपीएलसी-एलआईएम तंत्र की खरीद में ₹8.48 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि मुम्बई और कोलकाता में तंत्र आपूर्ति से 6 वर्षों से भी अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहे। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन भी अपूर्ण रहा।

5.9 गैर-भुगतान के कारण बिलिंग प्रणाली द्वारा सेवाओं का स्वचालित गैर-विच्छेदन अभिदाताओं से देयों के संचयन में प्रतिफलित हुआ

बीएसएनएल की बिलिंग प्रणाली की थ्रेशोल्ड सीमा पार करने पर सेवाओं का स्वचालित विच्छेदन करने की अक्षमता तथा बिलिंग प्राधिकारियों द्वारा बिलम्बित कार्यवाही ₹5.61 करोड़ के देयों के संचयन में प्रतिफलित हुई। पुनः आईएसडी संयोजन सुविधा अनुमोदित करते समय कार्पोरेट कार्यालय के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन ₹ 2.82 करोड़ के राजस्व की गैर-वसूली में प्रतिफलित हुआ।

मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ब्रांड नाम 'सेल-वन' के अन्तर्गत पोस्ट-पेड मोबाईल टेलीफोन अक्टूबर 2002 से प्रारम्भ किया। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, तथा दक्षिण अंचलों के दूरसंचार परिमंडलों के सम्बन्धित महाप्रबन्धक, सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विसेज (सीएमटीएस) के अन्तर्गत चंडीगढ़, कोलकाता, पुणे एवं हैदराबाद में जोनल बिलिंग सेण्टर्स (जैडबीसी) गठित किये गये थे। जोनल बिलिंग सेण्टर्स अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त परिमंडलों के लिए बिलों का प्रसंस्करण, भुगतानों की निगरानी, राजस्व संग्रहण की निगरानी हेतु विविध प्रतिवेदनों को बनाने तथा देयों के गैर-भुगतान की स्थिति में आऊटगोइंग/इनकमिंग कॉल्स को वापस लेने हेतु उत्तरदायी थे। पोस्ट-पेड मोबाईल सेवाओं के विच्छेदन हेतु दूरसंचार परिमंडल डिमांड्स नॉट पेड (डीएनपी) के लिए भिन्न-भिन्न थ्रेशोल्ड सीमाओं का पालन कर रहे थे। विविध लेखा श्रेणियों हेतु तुरन्त प्रभाव से पालन की जाने वाली थ्रेशोल्ड सीमाओं को पार करने के पश्चात् भी देयों के गैर-भुगतान के कारण एक पोस्ट-पेड मोबाईल सेलुलर संयोजन के विच्छेदन हेतु बीएसएनएल ने बिलिंग प्रणाली में एक समान थ्रेशोल्ड सीमा निश्चित की (सितम्बर 2008)।

लेखापरीक्षा के दौरान लेखा नमूना परीक्षित किये गये (जनवरी 2013 एवं अगस्त 2013) दो²⁹ दूरसंचार परिमंडलों में यह पाया गया था कि प्रणाली में निर्धारित की गयी थ्रेशोल्ड सीमाओं को पार करने के पश्चात् भी "व्यक्तिगत" श्रेणी के 14939 पोस्ट-पेड अभिदाताओं के गैर-विच्छेदन के कारण तथा सम्बन्धित बिलिंग प्राधिकारियों द्वारा यथोचित निगरानी के अभाव के कारण, इन अभिदाताओं को पाँच बिलिंग चक्रों तक मोबाईल सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति दी गयी जो 1 अप्रैल 2009 से 30 जून 2014 अवधि के दौरान ₹5.61 करोड़ के बकाया देयों के संचयन में फलित हुई।

डीओटी ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि :

- पोस्ट-पेड अभिदाताओं को बिना भुगतान के पाँच बिलिंग चक्रों तक मोबाईल सुविधायें जारी रखने हेतु इसलिए अनुमति दी गयी थी क्योंकि प्रथम बिल के भुगतान पर अभिदाता द्वारा भुगतान न करने के पश्चात् सामान्य रूप से अधिकतम 2 बिल (कुल 3 बिल बकाया) जारी किये जाते हैं। 4 अथवा 5 बिलों के बकाये की स्थिति, इस तथ्य के कारण थी कि अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग बिलों के उपयोग का विवरण बाद की तिथि पर प्राप्त हो रहे थे तथा इसलिए वे उत्पन्न किये गये चतुर्थ अथवा पंचम बिलों में सामान्यतः बिल किये जाते हैं।

²⁹ महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश दूरसंचार परिमंडल

- इस विषय पर कार्पोरेट कार्यालय के निर्देशों को त्रिची के जोनल बिलिंग सेण्टर (आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल) तथा पुणे में बिलिंग एण्ड कस्टमर केयर सिस्टम (बीसीसीएस) द्वारा अनुपालित किये जा रहे हैं तथा विच्छेदन क्रियाविधि प्रक्रिया पूर्णतया स्वचालित थी। विच्छेदन (डीएनपी) प्रकरणों में विलम्ब करने में कोई धोखेबाजी नहीं है।
- देय तिथियों एवं रोक हेतु थ्रेशोल्ड सीमायें, प्रणाली में समय-समय पर कार्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर संरूपित की गयी थीं। स्वचालित रोक विशिष्टता, बकाया/कपटो को न्यून करने में प्रतिफलित हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यथार्थ तथ्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग के सम्बन्ध में चतुर्थ अथवा पंचम बिल जारी किये जाते हैं जो स्पष्टतया इंगित करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपयोग करने वाले अभिदाताओं हेतु बीएसएनएल में वास्तविक अवधि का निगरानी तंत्र नहीं है तथा इस प्रकार, प्रणाली इस सीमा तक अपूर्ण थी। पुनः यह उत्तर अत्यन्त सामान्य है कि समय-समय पर कार्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर देय तिथियाँ एवं रोक हेतु थ्रेशोल्ड सीमायें प्रणाली में संरूपित की गयी थीं क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए प्रकरणों में विच्छेदन में बिलम्ब के कारणों का कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुनः स्थिति को शेष दूरसंचार परिमण्डलों में परीक्षित किये जाने की आवश्यकता है, तथा वास्तविक अवधि की निगरानी के आधार पर बिल जारी किये जाने हैं तथा देयों हेतु निश्चित थ्रेशोल्ड सीमाओं से पार होने पर प्रणाली द्वारा समयबद्ध विच्छेदन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय ने सीएमटीएस नेटवर्क में कपटपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों में संशोधन यह जोर देते हुए जारी किये (अप्रैल 2011) कि "कान्फ्रेंस सुविधा सहित इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग (आईएसडी) अपेक्षित अभिदाता सत्यापन एवं एसएजी या उससे ऊपर के स्तर के सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) के प्रमुख के अनुमोदन के उपरान्त मात्र ही प्रदान की जानी चाहिए" तथा कहा कि "वांछित संयुक्त सुविधा में से कान्फ्रेंस सुविधा पिछले तीन लगातार बिलों के अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रदान की जायेगी"। दो³⁰ दूरसंचार परिमण्डलों में यह पाया गया (दिसम्बर 2013 व जनवरी 2014) कि आठ अभिदाताओं को आईएसडी व कान्फ्रेंस सुविधा के साथ 202 पोस्ट पेड मोबाईल संयोजन अनिवार्य प्रमाणपत्र सत्यापन एवं सक्षम अधिकारी (एसएजी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी) का अनुमोदन प्राप्त किये बगैर प्रदान किये गए थे। पुनः, बिलिंग प्रणाली दैनिक आधार पर अभिदाता का उपयोग पैटर्न उत्पन्न करने में विफल रही। कार्पोरेट कार्यालय के दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन तथा उपयोग पैटर्न को नियमित रूप से उत्पन्न करने में बिलिंग प्रणाली की विफलता ₹ 2.82 करोड़ तक के देयों के संचयन में प्रतिफलित हुई।

³⁰ कर्नाटक एवं तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डल

डीओटी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि

- कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल में धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए, जो कार्पोरेट कार्यालय के दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण घटित हुए हैं, सम्बन्धित कर्मचारीगण पर उत्तरदायित्व तय किये जा चुके हैं तथा कुछ धोखाधड़ी प्रकरणों में सतर्कता प्रकरण अभी तक प्रक्रिया में था।
- तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डल में धोखाधड़ी प्रकरणों के सन्दर्भ में, आवेदन पत्र में दोषी द्वारा दिया गया स्थानीय बिलिंग पता विद्यमान नहीं था तथा सीबीआई की एक विस्तृत जांच में, ₹ 1.92 लाख की धनराशि जब्त की गयी थी तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बैंक में जमा की गयी। बीएसएनएल के पैनल अधिवक्ता ने राय व्यक्त की कि प्रकरण का कोई पुनः अनुसरण व्यर्थ तथा खर्चीला था एवं इसलिए मेसर्स हिमालय हर्ब्स के देयों को खारिज करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार, उत्तर से यह स्पष्ट है कि ₹2.82 करोड़ की धनराशि अप्राप्य हो गयी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही अभिदाताओं की सुविधाएँ सक्रिय की जा रही हैं, प्रणाली में आंतरिक नियंत्रणों की वृद्धि के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाएँ।

5.10 जीपीओएन/जीईपीओएन परियोजना में अविवेकी निवेश

बाजार का विस्तृत अध्ययन और परिमण्डलों से आवश्यकताओं को प्राप्त किये बिना जीपीओएन/जीईपीओएन उपकरणों की खरीद के अलावा उसकी देरी से संस्थापन के परिणामस्वरूप ₹377.15 करोड़ के उपकरण निष्क्रिय रहे और परिकल्पित सेवाओं जैसे इन्टरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल और एफटीटीएच (घर तक फाइबर) ग्राहकों को माँग पर वीडियो के गैर-प्रावधान ने इन उपकरणों की खरीद के उद्देश्य को विफल कर दिया।

मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने ग्राहकों को डाटा और वीडियो सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से "पैसिव ऑप्टिकल बेस्ड नेटवर्क" (पीओएन)³¹ तकनीक को लागू करने का निर्णय लिया (मई 2007) और "घर तक फाइबर" (एफटीटीएच)³² नेटवर्क के तहत क्रमशः शहरी और ग्रामीण ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो प्रमुख तकनीकों के रूप में गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) और गीगाबिट ईथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीईपीओएन) को चिन्हित किया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जीपीओएन/जीईपीओएन तकनीक आदि का उपयोग कर उच्च बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड सेवाएँ³³ जैसे


³¹ पीओएन तकनीक ऑप्टिकल फाइबर (ओएफ) केबिल के माध्यम से उपभोक्ताओं के छोर पर सेवाओं के प्रावधान को शामिल करती है जिनको घर तक फाइबर (एफटीटीएच) सेवाओं के नाम से जाना जाता है। ओएफ के द्वारा सेवाओं का प्रावधान उपभोक्ताओं की सेवाओं में गुणवत्ता, रफ्तार और विविधता में वृद्धि करता है। इस तकनीक के अंतर्गत, एक ओएफ 32 उपभोक्ताओं को उच्च बैंडविड्थ के साथ सेवा देता है और ओएफ केबिल उपभोक्ता के परिसर तक बिछाई जाती है।

³² एफटीटीएच, ऑप्टिकल फाइबर पर संचालक के स्विचिंग उपकरण से एक संचार संकेत का एक घर या व्यवसाय तक पूरी तरह वितरण है।

³³ मांग सेवा पर आडियो, मांग पर बैंडविथ, दूरस्थ शिक्षा, बिन्दु से बिन्दु और बिन्दु से बहुबिन्दु विडियो कान्फ्रेंसिंग, आईपी पर आडियो और विडियो टेलीफोनी, इंटरैक्टिव गेमिंग, लेयर 3 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन), वीपीएन पर ब्रॉडबैंड, डायल अप वीपीएन सेवा और वर्चुअल प्राइवेट एलएएन सेवा (वीपीएलएन)

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी), वॉयस् ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) और माँग पर वीडियो उपलब्ध कराना था।

एक पीओएन, एक केन्द्रीय कार्यालय नोड जिसे ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) कहते हैं, एक या एक से अधिक उपयोगकर्ता नोड्स जिसे ऑप्टिकल नेटवर्क इकाई (ओएनयू) या ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) कहते हैं तथा उनके बीच में फाइबर और स्प्लिटरर्स, से बना होता है। एक ओएलटी एक पीओएन का सेवा प्रदाता समापनबिंदु है और केंद्रीय कार्यालय या शीर्ष अंत में स्थित होता है। ओएनटी या ओएनयू पीओएन का समापन कराता है और उपयोगकर्ता को नेटिव सेवा इंटरफेस प्रस्तुत करता है।



एफटीटीएच को लागू करने की प्रबन्धन समिति (जून 2007) की अनुमोदित योजना बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय द्वारा सितम्बर 2007 में क्षेत्रीय इकाईयों को सूचित कर दी गयी थी और यह लक्षित किया गया था कि मई 2007 से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान चार चरणों में जीपीओएन/ जीईपीओएन के तहत 18.32 लाख ग्राहकों को आच्छादित (कवर) किया जाएगा। चार परियोजना परिमण्डलों— उत्तरी दूरसंचार परियोजनायें (एनटीपी) – दिल्ली, पूर्वी दूरसंचार परियोजनायें (ईटीपी) – कोलकाता, पश्चिमी दूरसंचार परियोजनायें (डब्ल्यूटीपी) – मुम्बई, और दक्षिणी दूरसंचार परियोजनाएं (एसटीपी) – चेन्नई को सम्बन्धित क्षेत्रीय परिमण्डलों के साथ समन्वय में संस्थापना और चालू करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था (सितम्बर 2008)। परियोजना की अनुमानित लागत ₹1150 करोड़ थी और इसे प्रतिधारित आय के आंतरिक संसाधनों और सामयिक परिसंपत्तियों से वित्त पोषित किया जाना था। बीएसएनएल ने जीपीओएन उपकरण की खरीद के लिए 1720 ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स (ओएलटी)/चैसिस, 234 लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन-लेन) स्विचेज और 5.50 लाख ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल्स (ओएनटी) तथा जीईपीओएन उपकरण के लिए 166 ओएलटी और 1.06 लाख ओएनटी की खरीद के लिए ₹1,119.73 करोड़ की लागत पर पाँच विक्रेताओं³⁴ को क्रय आदेश जारी किये (मई 2009)।

³⁴ मेसर्स आईटीआई लिमिटेड, मेसर्स स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, मेसर्स नोकिया सिमेन्स नेटवर्क इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टेराकॉम लिमिटेड और मेसर्स आईसीओएमएम लिमिटेड,

बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय, चार परियोजना परिमण्डलों और दस दूरसंचार परिमण्डलों³⁵ में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा, अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि को सम्मिलित करते हुए, ने निम्नलिखित कमियों को उजागर किया:

- प्रबन्धन समिति द्वारा जून 2007 में अनुमोदित चरण-वार कार्यान्वयन योजना के अनुसरण में, 32,000 लाइनों की खरीद के लिए कार्पोरेट कार्यालय द्वारा एक प्रस्ताव बीएसएनएल बोर्ड के तहत बीएसएनएल प्रबंधन समिति (एमसी) को प्रस्तुत किया गया जिसको कि एमसी द्वारा ₹850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पाँच लाख लाइनों (जीपीओएन: 3.5 लाख और जीपीईओएन: 1.5 लाख) के लिए संशोधित (दिसम्बर 2007) किया गया था। सभी सेटलाइट टाउनशिप और औद्योगिक समूहों को, जिसमें माँग संभावित थी, को आवृत्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए के आधार पर, बीएसएनएल बोर्ड ने ₹300 करोड़ की अतिरिक्त कीमत पर दो लाख अतिरिक्त लाइनों द्वारा जीपीओएन उपकरण की मात्रा में और बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया (दिसम्बर 2007) और तदनुसार मंजूरी (दिसम्बर 2007) दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्णय एक उचित व्यापार योजना/प्रारंभिक अध्ययन के बगैर लिया गया था और उपयोगकर्ता शाखाओं (परिमण्डल कार्यालयों) से उपकरण हेतु प्राक्कलन प्राप्त नहीं किया गया था जो कि खरीद नियम पुस्तिका में निर्धारित अपेक्षाओं के विपरीत था जिसके अनुसार यह निर्धारित था कि उपकरण की आवश्यकता का पूर्वानुमान उन उपयोगकर्ता शाखाओं द्वारा तैयार किया जाना था जो ऐसे उपकरण को नेटवर्क में शामिल करने की योजना करता है तथा साथ ही कार्पोरेट कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व प्रत्येक परियोजना के सापेक्ष प्रत्येक परिमण्डल द्वारा उपकरण की आवश्यकता संबंधित परिमण्डल प्रमुखों से विचार विमर्श के बाद निर्धारित की जानी चाहिए। आगे, यद्यपि जीपीओएन/जीईपीओएन उपकरण एक नई वस्तु थी तथापि टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) से कोई भी सदस्य जीपीओएन/जीईपीओएन निविदाओं के मूल्यांकन के लिए गठित निविदाओं के मूल्यांकन हेतु समिति (सीईटी) में शामिल नहीं किया गया था जैसा कि बीएसएनएल खरीद नीति में निर्धारित था।

डीओटी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि 5 लाख लाइनों की खरीद के लिए योजना कार्पोरेट कार्यालय के कोर नेटवर्क योजना (सीएनपी) प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गयी थी और बीएसएनएल बोर्ड ने दिसम्बर 2007 में जीपीओएन की 3.50 लाख लाइनों और जीईपीओएन की 1.50 लाख लाइनों की खरीद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। डीओटी ने आगे कहा (अक्टूबर 2013) कि जीपीओएन/जीईपीओएन के लिए सीईटी का गठन बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय के एमएमटी अनुभाग द्वारा किया गया था और दोनो निविदाओं में, दो तकनीकी सदस्य यथा उपमहानिदेशक (टीएक्स) और संयुक्त उप महानिदेशक (ओएफ) थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने 27 दिसम्बर 2007 को आयोजित अपनी बैठक में 07 लाख लाइनों की खरीद को मंजूरी दी न कि 05 लाख लाइनों को, जैसा कि उत्तर में कहा गया है। बाजार अध्ययन के माध्यम से उपकरण की माँग का आँकलन करे बिना उपकरण की खरीद के

³⁵ चैन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), कोलकाता और पश्चिम बंगाल

संबंध में उत्तर कुछ नहीं कहता है क्योंकि जीपीओएन/जीईपीओएन एक नई तकनीक थी। सीईटी के गठन के सम्बन्ध में, तथ्य यह है कि बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय ने खरीद नियम पुस्तिका में निर्धारित स्वयं अपनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया और इस प्रकार दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को लागू करते समय स्वयं की विशेषज्ञता से वंचित रहा।

- तत्व प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) एक ही शहर में सभी ओएलटी के साथ ही साथ डाटा संचार नेटवर्क (डीसीएन) का उपयोग कर दूरस्थ शहरों में समान पीओएन प्रौद्योगिकी के ओएलटी का प्रबंधन करती है। निविदा के नियम और शर्तों के अनुसार, स्थापना विशेष रूप से जीपीओएन चैसिस, लैन स्विचों तथा स्प्लिटरों के साथ तत्व प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा फाइबर वितरण और प्रबंधन प्रणालियों (एफडीएमएस), आपूर्तिकर्ताओं से उपकरण की प्राप्ति के छह माह के भीतर सम्बन्धित परियोजना परिमण्डलों द्वारा की जानी थी। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना परिमण्डलों के द्वारा ओएलटी उपकरणों की संस्थापना के बाद, छः माह के भीतर प्रत्येक चैसिस तथा लैब स्विचों और इसके ईएमएस/लोकल क्रॉफ्ट टर्मिनल (एलसीटी)/उपस्थिति बिन्दु (पीओपी) को राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन-(एनआईबी) से एकीकृत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, मार्च 2013 तक आपूर्ति किये गये, 1886 ओएलटी, 6,16,568 ओएनटी और 5,07,140 बैटरी में से 143 ओएलटी मूल्य ₹38.60 करोड़ तथा 604,680 ओएनटी 4,95,252 बैटरी सहित मूल्य ₹ 338.55 करोड़ सभी परिमण्डलों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा (सितम्बर 2012) कि जीपीओएन और जीईपीओएन ओएलटी का ईएमएस के साथ संस्थापन और एकीकरण तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) परिमण्डलों के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल के आसनसोल और दुर्गापुर में नहीं किया गया था।

डीओटी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ओएलटी उपकरणों के संस्थापन में कुछ प्रारंभिक विलम्ब मीडिया/ऑप्टिकल फाइबर केबल की अनुपलब्धता, जगह की अनुपलब्धता के कारण थे तथा अब अधिकतर जीपीओएन/जीईपीओएन उपकरण संस्थापित और चालू कर दिये गये थे और दूरसंचार परिमण्डलों एवं परियोजना परिमण्डलों को संस्थापन एवं चालू करना, जहाँ कहीं भी संस्थापन और चालू करना लम्बित था, विलम्बतम मार्च 2014 तक, पूर्ण करने को कहा गया था। डीओटी ने यह भी कहा (अक्टूबर 2013) कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा उपभोक्ता परिसरों में अंतिम मील ओएफ कनेक्शन को उपलब्ध कराने में कठिनाईयाँ अनुभव की जा रही थीं और परिमण्डल 2 एफ/4 एफ केबल्स की खरीद के लिए अधिकृत किये गये थे। डीओटी ने आगे, कहा कि (अक्टूबर 2013) कि, जीपीओएन/जीईपीओएन के तहत आपूर्ति किये गये सभी ओएलटी ईएमएस के साथ जोड़े जाने थे, सभी संस्थापित ओएलटी ईएमएस के साथ जोड़े दिये गये हैं और मेसर्स आईटीआई एवं मेसर्स स्टरलाईट द्वारा आपूर्ति किये गये ईएमएस के एकीकरण को विधिमान्य कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने परिमण्डलों में ओएलटी के लिए स्थानों, जगहों और खाका योजना को अन्तिम रूप देने में असामान्य विलम्ब पाया और साथ ही जीपीओएन उपकरणों के सम्बन्ध में संस्थापित ओएलटी का ईएमएस के साथ एकीकरण आपूर्ति की निर्धारित तिथि से 3 वर्ष और 6 माह (अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2013) तथा जीईपीओएन उपकरणों के सम्बन्ध में दो वर्षों से

अधिक (सितम्बर 2011 से अक्टूबर 2013) के विलम्ब से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नये उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त सेवा का विलंबित वितरण हुआ।

- रेज़िलियेंट पैकेज रिंग (आरपीआर) स्विच एक साझा मंच के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर डेटा यातायात के इष्टतम परिवहन के लिए बनाया गया एक प्रोटोकॉल मानक है। आरपीआर स्विच जीपीओएन/जीईपीओएन उपकरणों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (मार्च 2008) में एक वैकल्पिक मद के रूप में उल्लेखित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि 98 शहरों में ब्रॉडबैंड मल्टिप्ले³⁶ के तहत वृहत् संख्या में समान क्षमता के आरपीआर स्विच पहले ही लगा (फरवरी 2008) दिये गये थे, तथापि बीएसएनएल ने क्षेत्र-वार आवश्यकता का अनुमान लगाये बिना ₹107.35 करोड़ रुपये की लागत से 234 आरपीआर स्विचों (पूर्वी क्षेत्र के लिए 60 स्विच, पश्चिमी क्षेत्र के लिए 57 स्विच और 117 स्विच उत्तरी क्षेत्र के लिए), दक्षिणी क्षेत्र (एसटीपी) को छोड़कर, के लिए आदेश दिए। जबकि दक्षिणी क्षेत्र के लिए कोई स्विच नहीं खरीदे गये थे, वहीं अन्य क्षेत्रों में आदेश देने से पूर्व आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पता लगाया (अक्टूबर 2014) कि मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, आपूर्ति किये गये 234 आरपीआर स्विचों में से 182 स्विच संस्थापित किये गये थे जिसके सापेक्ष केवल 95 चालू किये गये थे। इस प्रकार, 52 स्विचों सहित ₹63.31 करोड़³⁷ के 139 आरपीआर स्विच चालू नहीं हुए थे (मार्च 2013) जिसके परिणामस्वरूप ₹63.31 करोड़ के निष्फल पूँजीगत व्यय के अलावा एक साझा मंच के माध्यम से ओएफ नेटवर्क पर डेटा यातायात के इष्टतम परिवहन की गैर प्राप्ति हुई, जो कि पीओएन तकनीक को अपनाने के उद्देश्यों में से एक था।

डीओटी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि परिमण्डलों को ब्रॉडबैंड मल्टिप्ले परियोजना के संवर्धन के लिए आपूर्ति किये गये आरपीआर स्विच का उपयोग करने और वित्तीय वर्ष 2013-14 में चालू करना पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

तथ्य यह है कि बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा आरपीआर स्विचों की वास्तविक आवश्यकता का आँकलन किये बिना अनुचित योजना और खरीद निष्फल पूँजीगत व्यय ₹63.77 करोड़ में प्रतिफलित हुई। इसके अतिरिक्त, 139 आरपीआर स्विचों के गैर-संस्थापन के कारण, बीएसएनएल एक साझा मंच के माध्यम से ओएफ नेटवर्क पर डेटा यातायात के इष्टतम परिवहन के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

- बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा परिमण्डलों को जारी निर्देशों (मई 2011) के अनुसार, परिमण्डलों को एफटीटीएच सेवाओं को शुरू करने के लिए फ्रेंचाइजियों को अन्तिम रूप देना था क्योंकि बीएसएनएल स्वयं समस्त निर्दिष्ट सेवाओं को प्रदान नहीं कर सका। इस प्रकार, बीएसएनएल को प्रत्येक सेवा के लिए राजस्व साझेदारी के आधार पर या उपयोग के आधार पर निजी सामग्री प्रदाताओं के साथ अनुबंध करने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना परीक्षित किसी

³⁶ ब्रॉडबैंड मल्टिप्ले, दूरसंचार केन्द्र से उपभोक्ता को कॉपर केबिल के माध्यम से वॉइस, विडियो और डाटा देता है।

³⁷ एक आरपीआर स्विच का मूल्य=(₹107.35 करोड़/234)=₹0.45876 करोड़, इस प्रकार, चालू न हुए कुल 138 आरपीआर स्विचों की कुल लागत (234-96) होती है = ₹0.45876 करोड़ X138=₹63.77 करोड़

भी परिमण्डलों में जून 2013 तक निजी सामग्री प्रदाताओं के साथ कोई अनुबंध नहीं किये गये थे।

डीओटी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि माँग पर खेल, माँग पर खेल/वीडियो/संगीत और आईपीटीवी पहले ही ब्रॉडबैंड पर एफटीटीएच सहित प्रदान किये जा रहे थे, परिमण्डलों को ईओआई के माध्यम से राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर फ्रेंचाइजियों को अन्तिम रूप देने के लिए कहा गया था, लेकिन सफल नहीं हो सके और एफटीटीएच के शुरू करने, प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु फ्रेंचाइजियों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्पोरेट कार्यालय से निविदा पुनः जारी करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर पुष्टि करता है कि जीपीओएन/जीईपीओएन तकनीक का उपयोग कर निजी सामग्री प्रदाताओं के साथ अनुबंध में विलम्ब के कारण परिकल्पित समस्त सेवाएं अभी तक (फरवरी 2015) प्रदान की जानी शेष थी।

➤ वॉयस् कॉल हेतु उपभोक्ताओं पर प्रभार रोपण, ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टैक्स-टीएएक्स) से प्राप्त चार्ज बैंड के आधार पर मानक प्लस के अनुसार किया जा रहा था और मापित कॉल इकाईयों (एमसीयू³⁸) को, एक्सचेंजों में से प्रत्येक, नोएडा सॉफ्ट स्विच³⁹ से मानवीय रूप से डाउनलोड कर रहे थे। उसके बाद में उसी को सम्बंधित कार्यालय द्वारा बिलिंग की उत्पत्ति के लिए प्रयोग किया गया था। बीएसएनएल के पास एफटीटीएच को छोड़कर सभी सेवाओं हेतु ग्राहक सुविधा और बिलिंग के लिए टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा विकसित कॉल डेटा रिकार्ड (सीडीआर⁴⁰) आधारित सॉफ्टवेयर था।

बीएसएनएल ने कहा (जुलाई 2012) कि एफटीटीएच बिलिंग वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना परिमण्डल (आईटीपीसी), पुणे द्वारा उन्नत डॉटसॉफ्ट पैकेज के माध्यम से की जा रही थी। डीओटी ने कहा कि (अक्टूबर 2013) एफटीटीएच बिलिंग सीडीआर निविदा के दायरे में नहीं थी और अखिल भारतीय डॉटसॉफ्ट की वर्तमान प्रणाली सिद्ध प्रणाली थी और प्रणाली कारणों से कोई भी बिल विलम्बित नहीं हुए थे।

तथ्य यह है कि बीएसएनएल के पास कोई भी एकीकृत एफटीटीएच बिलिंग प्रणाली नहीं थी। सीडीआर सॉफ्टवेयर में एफटीटीएच बिलिंग को गैर-शामिल किये जाने के कारण, उपभोक्ताओं द्वारा थ्रेशोल्ड के लंघन पर स्वचालित विच्छेदन नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से वसूली योग्य देयों का संचय होगा जैसा कि, मार्च 2010 से मार्च 2013 तक, 22,778 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए ₹26.66 करोड़ के जारी बिल में से फरवरी 2015 तक लंबित वसूली राशि ₹1.17 करोड़ से स्पष्ट है।

³⁸ मीटर कॉल यूनिट एक उपभोक्ता द्वारा किये गये आडियो दूरभाष कॉलों को चार्ज की प्रभार इकाई है।

³⁹ सॉफ्टस्वीच, सॉफ्टवेयर स्विच के लिये एक संक्षेप है, जो कि दूरसंचार नेटवर्क में दूरसंचार कॉलों को एक फोन लाईन से अन्य को, दूरसंचार नेटवर्क में सभी जगह, एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर प्रणाली पर चलित सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पूर्णतया जोड़ता है।

⁴⁰ सीडीआर कॉल डाटा अभिलेख है जो कि लैंडलाइन कनेक्शनों के लिये केन्द्रीय एकीकृत बिलिंग सॉफ्टवेयर है।

- बीएसएनएल 2010–11 से 2012–13 तक की अवधि के दौरान सभी वर्षों में राजस्व⁴¹ के साथ ही ग्राहक⁴² लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी विफल रहा। राजस्व की प्राप्ति जहाँ 2010–11 में 0.20⁴³ प्रतिशत तथा 2011–12 में 4⁴⁴ प्रतिशत थी, वहीं 2012–13⁴⁵ के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, 2012–13 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान अर्जित ग्राहकों की संख्या का क्रमशः मात्र 0.26⁴⁶ प्रतिशत, 1.54⁴⁷ प्रतिशत और 8.58⁴⁸ प्रतिशत था।

डीओटी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि चूँकि एफटीटीएच एक नई सेवा थी और भारत में बीएसएनएल अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह की सेवाओं को प्रारम्भ करने वाला पहला ऑपरेटर था अतः, उपभोक्ताओं को नई तकनीक के बारे में जागरूक बनाने और उत्पाद विपणन तथा सेवाओं को उठाने के लिए कुछ समय लगेगा, दैनिक निगरानी तेजी को बढ़ाने में सहायता कर रहा थी तथा फ़रवरी 2013 से उपभोक्ता अर्जन की गति में वृद्धि हुई थी और बीएसएनएल दिसम्बर 2014 तक क्षमता का 80 प्रतिशत के उपयोग की अपेक्षा कर रहा था। डीओटी ने आगे कहा कि 30 सितम्बर 2013 तक, 17,552 उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन, एफटीटीएच पर 10306 वीओआईपी कनेक्शन, 916 आईपीटीवी कनेक्शन, एफटीटीएच पर 230 इंटरनेट लीड्स लाइन्स तथा एफटीटीएच पर 1827 वीपीएन कनेक्शन काम कर रहे हैं।

तथ्य यह है कि (दिसम्बर 2013) चार वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी, जीपीओएन/जीईपीओएन उपकरणों का 100 प्रतिशत संस्थापन/चालू करना पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि 143 ओएलटी (8 प्रतिशत), 4,95,252 बैटरी (98 प्रतिशत) सहित 6,04,680 ओएनटी (98 प्रतिशत) और 139 आरपीआर (59 प्रतिशत) स्विच अभी तक संस्थापित किए जाने शेष थे; प्राथमिक जीपीओएन उपकरणों के सम्बंध में (अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2013) प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण, आपूर्ति की निर्धारित तिथि से 3 वर्ष और 6 माह के बाद तथा जीईपीओएन उपकरणों के संबंध में (सितम्बर 2011 से अक्टूबर 2013) दो वर्ष से अधिक के बाद हुआ, जैसा मंत्रालय ने कहा। इसके अलावा, बीएसएनएल 18.32 लाख ग्राहकों के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर 2010 तक केवल 22,778 (1.24 प्रतिशत) ग्राहकों को प्राप्त कर सका, यद्यपि कुल सज्जित क्षमता नियोजित सात लाख लाइनों के सापेक्ष 6,56,240 लाइनों की (93.75 प्रतिशत) थी।

परिणामस्वरूप, बीएसएनएल का उद्देश्य यथा, जीपीओएन/जीईपीओएन तकनीक का उपयोग करते हुए एफटीटीएच पर विभिन्न सेवाएँ जैसे वॉइस के साथ ही उच्च गति इंटरनेट, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) और वीडियो सेवाएँ प्रदान कर अधिक राजस्व उत्पन्न करना, जैसा कि नवीन तकनीक को लागू करने की योजना बनाते समय पूर्वानुमनित किया गया था, अपूर्ण रहा। इस प्रकार, मूल उद्देश्य जिसके लिए योजना प्रारम्भ की गई थी, यथा, राजस्व वृद्धि के लिए विभिन्न सेवाओं

⁴¹ 2010–11 और 2011–12 के दौरान राजस्व लक्ष्य क्रमशः ₹290.00 करोड़ और ₹136.62 करोड़ था।

⁴² 2010–11 से 2012–13 के दौरान उपभोक्ता लक्ष्य क्रमशः 500565, 269724 और 265564 था।

⁴³ बिल किया गया राजस्व ₹0.59 करोड़ था।

⁴⁴ बिल किया गया राजस्व ₹5.40 करोड़ था।

⁴⁵ बिल किया गया राजस्व ₹20.67 करोड़ था।

⁴⁶ 1294 उपभोक्ता

⁴⁷ 4160 उपभोक्ता

⁴⁸ 22778 उपभोक्ता

का प्रावधान, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये बिना सात लाख लाइनों के लिए उपकरणों की एक बार में खरीद, खरीदे गये उपकरणों के संस्थापन में विलम्ब तथा बीएसएनएल द्वारा खरीदे गये उपकरणों के संस्थापन और एकीकरण के लिए प्रभावी निगरानी के अभाव के कारण विफल रहा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

5.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही—(वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालक से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए, टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संबंधी समिति (सीओपीयू) द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चयनित नहीं किया गया था। सीओपीयू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998—99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए अनुशंसा की :

- पृथक—पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही टिप्पणियों (एटीएन) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पीएसयू से सम्बन्धित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा
- समिति को संसद में प्रस्तुत किये गये सीएजी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से छः माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, एटीएन पर अनुवर्ती कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999—2000 तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डीपीई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक—पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी हेतु स्वयं डीपीई में एक पृथक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार, अगस्त 2000 के बाद से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन के प्रस्तुत करने पर

अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी करने के लिए डीपीई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सम्बंधित मंत्रालयों के भीतर भी सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन प्रस्तुत करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के भीतर सीएजी लेखापरीक्षा अनुच्छेद और पीएसी की अनुशंसाओं पर लम्बित एटीएन/एटीआर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। इस निर्णय (जुलाई 2010) को संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संस्थागत तंत्र की अनुशंसा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओसी एवं आईटी), दूरसंचार विभाग, के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड और मेसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से सम्बंधित वर्ष 2014 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि, सितम्बर 2014 की स्थिति में, 97 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में एटीएन लम्बित थे, जिनमें से 10 अनुच्छेदों पर एटीएन अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा **परिशिष्ट-1** में वर्णित है।